राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांकः–न0नि0–50–52/2025 2864
प्रेषक,
शंभु कुमार
संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग
सेवा में,
सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका),
(नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, वैशाली, शिवहर,
दरभंगा, मधेपुरा, किशनगंज, शेखपुरा एवं जमुई जिला को छोड़कर)

पटना, दिनांक– 24.06.2025

विषय : नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 के अवसर पर मतदान केन्द्रों पर लाइव वेबकास्टिंग कराये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 के अवसर पर सभी मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग कराये जाने हेतु मुख्यालय स्तर से BSNL एजेंसी को कार्य आवंटित किया गया है। जिसका सेवा प्रदात्ता EPITOME Pvt. Ltd है।

मतदान केन्द्र पर वेबकास्टिंग का उद्देश्य

1. जिला द्वारा निर्धरित संवेदनशील मतदान केन्द्र की सभी गतिविधियों पर जिला/आयोग स्तर पर नजर रखी जा सकेगी।
2. मतदान केन्द्र पर अत्यधिक भीड़ होने अथवा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में सबसे नजदीकी थाना को ससमय सूचित किया जा सकेगा।
3. असामाजिक तत्वों द्वारा मतदान केन्द्र पर किसी भी प्रकार के व्यवधान किये जाने अथवा मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर पहुँचने में बाधा पहुँचाने की स्थिति में ससमय कार्रवाई की जा सकती।
4. पीठासीन पदाधिकारी द्वारा अगर कोई प्रतिकूल टिप्पणी डायरी में की जायेगी तो उसके विडियो रिकॉर्ड से आयोग को पुनर्मतदान आदि के स्थिति में निर्णय लेने में सुविधा होगी।

(क) <u>मुख्यालय स्तर पर पर्यवेक्षण :–</u>

वेबकास्टिंग मॉनिटरिंग के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित आवश्यक व्यवस्थाएँ की जायेंगी :–

1. आयोग के स्तर पर विशेष कार्य पदाधिकारी, श्री संजय कुमार, नोडल पदाधिकारी नामित किए गए है, एवं तकनीकी सहयोग हेतु आई.टी. प्रबंधक, परामर्शी के प्रतिनिधि– बृज बिहारी (9431214664) एवं करण पाण्डेय (729861849) द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा।

2. BSNL के स्तर पर दिनेश चन्द्र दास मो0 सं0– 9431200921 को राज्य समन्वयक बनाया गया है एवं इसके सेवा प्रदात्ता(EPITOME Pvt. Ltd.) द्वारा मुख्यालय स्तर पर दो राज्य समन्वयक श्री सलमान मो0 सं0– 7574828204 एवं श्री जिगनेश मो0 सं0– 9227001005 (State Coordinator) की प्रतिनियुक्ति की गयी है।

3. आयोग द्वारा मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग के अनुश्रवण हेतु आवश्यकतानुसार TV/Computer Screen आदि की व्यवस्था मुख्यालय स्तर पर की जाएगी।

(ख) <u>जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा की जाने वाली व्यवस्था :–</u>

1. वेबकास्टिंग के कार्यों को Supervise, Monitoringएवं अधिष्ठापन करने हेतु जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। DIO / IT Manager तकनीकी नोडल पदाधिकारी के रूप में रहेंगे जो उन्हें तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे। EPITOME द्वारा भी जिला स्तर पर एक मैनपावर समन्वय हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

2. DIO / IT Manager द्वारा प्रस्तावित एजेन्सी के सभी संबंधित कर्मियों को मतदान <u>की तिथि से 03 दिन पूर्व</u> पहचान पत्र निर्गत किया जायेगा। वेबकास्टिंग के नोडल पदाधिकारी द्वारा Empannelled एजेंसी के प्रतिनिधि के संयुक्त हस्ताक्षर से पहचान–पत्र निर्गत किया जाएगा।

3. मतदान केन्द्र पर लगने वाले कैमरों के लिए आवश्यकतानुसार बिजली एवं कार्यरत् पॉवर सॉकेट उपलब्ध कराया जायेगा। वेबकास्टिंग हेतु निर्बाध बिजली आपूर्त्ति सुनिश्चित की जाएगी। इस हेतु स्थानीय स्तर पर विद्युत विभाग के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर निर्बाध विद्युत् आपूर्ति हेतु निदेशित किया जाए।

4. आयोग के चयनित एजेन्सी को मतदान केन्द्र के अन्दर वेब कैमरा लगाने का निदेश दिया गया है। वेब कैमरा के संचालन हेतु एजेन्सी इन्टरनेट कनेक्टिविटी के लिए SIM की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त मतदान दिवस पर विधि व्यवस्था के लिए लगने वाले दूसरे कैमरा का अधिष्ठापन जिला द्वारा किया जाएगा। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के पोर्टल से भी लाईव वेबकास्टिंग देखने हेतु लिंक किया जायेगा। आयोग द्वारा चयनित एजेन्सी के माध्यम से जिला द्वारा कैमरा लगाने पर आयोग के साथ सामंजस्य में सुविधा होगी।

5. जिला स्तर अनुमंडल स्तर पर एजेन्सी को दिनांक–26.06.2025 से दिनांक–13.07. 2025 तक अपने उपकरणों के सुरक्षित भंडारण एवं रख–रखाव हेतु एक कक्ष/कमरा उपलब्ध कराया जायेगा।

6. वेबकास्टिंग के लिए मतदान केन्द्रों की सूची निर्वाची पदाधिकारी द्वारा चयनित वेंडर को मतदान से <u>तीन दिन पूर्व</u> उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. DIO/IT Maneger को आवश्यक सहयोग करने हेतु संबंधित निर्वाची पदाधिकारी एवं जिला द्वारा प्राधिकृत नोडल पदाधिकारी को निदेशित किया जाएगा जिसका सतत् अनुश्रवण संबंधित जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा की जाएगी।

8. जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में वेबकास्टिंग के अनुश्रवण हेतु बनाये जाने वाले नियंत्रण कक्ष के लिए डैशबोर्ड आदि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हेतु मानव बल Empannelled एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही एजेंसी को डैशबोर्ड में प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए कितनी देर वेबकास्टिंग हुआ, इसकी व्यवस्था डैशबोर्ड में की जानी होगी। इसके अनुश्रवण के लिए आवश्यकतानुसार Display System (TV Screen या Computers) & Internet Connectivity की व्यवस्था जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं निर्वाची पदाधिकारी द्वारा की जायेगी एवं इसकी मॉनिटरिंग के लिए पर्याप्त संख्या में पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

9. जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं निर्वाची पदाधिकारी के स्तर से वेबकास्टिंग का गहन अनुश्रवण किया जायेगा। कितने मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग संपन्न नहीं हुआ अथवा तकनीकी कारणों से वेबकास्टिंग बाधित रहा इसके आधर पर इस कार्यालय को कार्य Downtime एवं Failure का प्रतिवेदन संतुष्टि प्रमाण–पत्र (प्रपत्र संलग्न) में उपलब्ध कराये जायेगें।

10. जिलों में नगरपालिका आम/उप चुनाव एवं पंचायत उप चुनाव कराया जाना है जिसमें एक ही एजेन्सी द्वारा आपूरित कैमरा का उपयोग किया जाना है, अतः अधिष्ठापित कैमरों की सुरक्षा एवं भंडारण की व्यवस्था करायी जाए। वेंडर के कर्मी भी निश्चित रूप से जिला में उपस्थित रहेंगे।

11. मतदान केन्द्र के महत्त्वपूर्ण जगहों पर उपस्थित कर्मियों एवं सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए यह सूचना अंकित हो कि "आप वेब कैमरे की निगरानी/You are Under Web camera Surveillance में हैं।"

12. जिला स्तर/अनुमंडल स्तर पर एजेन्सी को दिनांक 26.06.25 से दिनांक 13.07.2025 तक अपने उपकरणों के सुरक्षित भंडारण एवं रख–रखाव हेतु एक कक्ष/ कमरा उपलब्ध कराया जायेगा।

(ग) मतदान केन्द्र हेतु चयनित एजेन्सी के कर्त्तव्य :–

1. चयनित एजेन्सी द्वारा मतदान केन्द्र के अन्दर की गतिविधियों की लाइव स्ट्रीमिंग हेतु एक कैमरा (कैमरा–ख) की आपूर्ति की जाएगी। जिला स्तर पर एक अन्य कैमरे (क) की व्यवस्था विधि व्यवस्था की गतिविधियों के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर पर आपूर्ति अधिष्ठापन और उसकी कमीशनिंग (आयोग के पोर्टल से)।

2. कैमरा (क) मतदान केन्द्र पर वेबकास्टिंग के लिए कैमरे लगाने के समय यह ध्यान रखना है कि कैमरा इस प्रकार रहे कि मतदाताओं की कतार सीधा एंव मतदान केन्द्र के बाहरी गतिविधि का अवलोकन हो सके।

कैमरा (ख) मतदान केन्द्र के अंदर किसी भी परिस्थिति में पोलिंग कम्पार्टमेंट के भीतरी हिस्सा जहाँ ई.वी.एम. सी.यू. रखा हो तथा मतदाता मतदान कर रहा हो, वह कैमरा में नहीं दिखना चाहिए।

3. मतदान केन्द्र पर वेब कैमरा द्वारा वेबकास्टिंग की लाइव स्ट्रीमिंग को देखने हेतु लिंक की व्यवस्था, मानवबल सहित सुनिश्चित करना।

4. मतदान दिवस पर लगने वाले कैमरों के लिए मैनपावर की व्यवस्था जिला द्वारा किया जाएगा एवं इसका भुगतान संबंधित एजेंसी द्वारा 500/– प्रति कैमरा की दर पर किया जाएगा।

5. चयनित एजेन्सी के द्वारा वेबकास्टिंग से संबंधित डाटा **भारत में अवस्थित सर्वर** पर संधारित किया जाएगा।

6. चयनित एजेन्सी के द्वारा मतदान के दिन सर्वर सक्रियता 100% सुनिश्चित की जाएगी।

7. चयनित एजेन्सी के द्वारा मतदान से 03 दिन पूर्व वेबकास्टिंग का परीक्षण (Demo) किया जाएगा।

8. एजेन्सी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना कार्यालय हेतु एक **राज्य स्तरीय समन्वयक** एवं **जिला स्तर पर प्रत्येक जिले के लिए एक जिला स्तरीय समन्वयक** की प्रतिनियुक्ति करना।

9. चयनित एजेन्सी के द्वारा मुख्यालय स्तर पर, जिला स्तर पर एवं निर्वाची पदाधिकारी स्तर पर Video Streaming URL, Password के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

10. मतदान के पश्चात् सभी रिकॉडिंग को एक सप्ताह के अंदर हार्ड डिस्क में जिला एवं आयोग को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही आयोग के वेबसाईट पर MIS के साथ होस्ट किया जायेगा।

11. मतदान केन्द्र के संबंध में वेबकास्टिंग के संबंध में चयनित एजेंसी के द्वारा दिनांक 25.06.2025 को ऑनलाईन ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी।

अन्यान्यः—

1. वेबकास्टिंग संबंधी सभी कैमरों का अधिष्ठापन एवं उससे संबंधित अन्य आधारिक संरचना **(Infrastructure) की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।**

2. मतदान दिवस के पूर्व स्थानीय स्तर पर जिला द्वारा सभी संबंधित कार्यालय में आवश्यक Bandwidth के साथ नेटवर्क आदि की व्यवस्था कर ली गयी है, सुनिश्चित कर लें, ताकि डैश बोर्ड के माध्यम से मतदान प्रक्रिया का अनुश्रवण किया जा सके।

4. सभी अधिष्ठापित कैमरों के क्रियाशीलता की जाँच कर ली जाए।

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna-800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612-2507847 E-mail : secbihar@gmail.com

उक्त कार्यों को शत्–प्रतिशत सफलतापूर्वक किये जाने हेतु Check List संलग्न किया गया है।

वेबकास्टिंग हेतु प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी एवं डी.आई.ओ. सुनिश्चित करायेंगे कि लगाये गये कैमरा शत्–प्रतिशत क्रियाशील हैं साथ ही स्थानीय स्तर पर आवश्यक नेटवर्क आदि की जाँच कर लेंगे। यदि कोई समस्या है तो इस संदर्भ में एजेंसी को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

अनुरोध है कि जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) अपने पर्यवेक्षण में सभी कार्यों को सुनिश्चित करायेंगे, तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाय एवं तत्संबंधी निदेश से सभी संबंधित को अवगत करा दी जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त

विश्वासभाजन

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक– न0नि0–50–52/2025 2864 पटना, दिनांक 24.06.2025

प्रतिलिपि– आई.टी. मैनेजर को राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक– न0नि0–50–52/2025 2864 पटना, दिनांक 24.06.2025

प्रतिलिपि– आयोग द्वारा नियुक्त सभी प्रेक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक– न0नि0–50–52/2025 2864 पटना, दिनांक – 24.06.25

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, BSNL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक– न0नि0–50–52/2025 2864 पटना, दिनांक – 24.06.25

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक– न0नि0–50–52/2025 2864 पटना, दिनांक – 24.06.25

प्रतिलिपिः– सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

मतदान के दिन होने वाले वेबकास्टिंग से संबंधित प्रतिवेदन

जिला नगर निकाय का नाम दिनांक

क्र0	मतदान केन्द्र की संख्या	इंस्टॉल किये गये कैमरों की संख्या	कार्यशील	अकार्यशील	अभियुक्ति
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

नोट :–

1 प्रतिवेदन मतदान केन्द्र के अंदर आयोग स्तर से लगाये जाने वाले कैमरों के संबंध में दिया जाना है।

2 नगर निकायवार प्रतिवेदन का संकलन कर प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के माध्यम से ही आयोग भेजा जाए।

एजेंसी के प्राधिकृत कर्मी का नाम एवं हस्ताक्षर

नोडल/तकनीकी नोडल ओ. सी.आर. एवं वेबकास्टिंग का नाम एवं हस्ताक्षर

24.06.25